समाहरणालय, अरवल

बिहार सरकार

ई-मेल-dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020 –40(वि0स0को0) दिनांक 18.04.2021 द्वारा बिहार राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **दिनांक 15.05.2021** तक निम्नांकित अतिरिक्त प्रतिबंध/कार्रवाई कराने का निदेश निर्गत किया गया है। गृह विभाग द्वारा निम्न निदेश निर्गत किये गये है।

1. **स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगें।** इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएँ भी नहीं ली जाएगी (बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर यह लागू नहीं होगा) । **ऑनलाईन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत् चलते रहेंगें।**
2. दुकानें **अपराहन 06.00 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया जाता है। सभी सरकारी/निजी कार्यालय 05.00 बजे बंद हो जायेंगें।**
3. **सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगें।**
4. **राज्य में रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक Night Curfew लागू रहेगा। बस/हवाई/रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा।**
5. **रेस्टोरेंट/ढाबा/भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलेवरी एवं Take Away Service)** का संचालन रात्रि 09 बजे तक किया जा सकेगा।
6. **सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों – सरकारी एवं निजी – पर रोक रहेगी।** यह रोक दफन/दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर लागू नहीं रहेगी। दफन/दाह संस्कार कार्यक्रम के लिए **अधिकतम 25** तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए **अधिकतम सीमा 100** व्यक्तियों की निर्धारित रहेगी।
7. **सभी प्रकार के धार्मिक स्थल दिनांक 15.05.2021 तक बंद रहेंगें।**
8. जिला प्रशासन बाजारों में **Staggering** करेगा ताकि भीड़ नहीं हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार क्षेत्रवार/मुहल्लावार दुकानों को **Alternate days** पर खोलने का आदेश दिया जा सकेगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला प्रशासन भीड़ भाड़ की जगह वाली मंडियों पर भी प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें खुले जगह में स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।
9. जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में दंड प्रक्रिया की धारा–144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51–60 एवं भा0द0वि0 की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त प्रतिबंधों से आवश्यक सेवाओं **(Essential Services) जैसे परिवहन, बैंकिंग,** डाक, **स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर छूट रहेगी। E-Commerce** की गतिविधियॉ एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगें। अंतर जिला एवं अंतर्राज्जीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगी। निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु आदेश निम्नवत् हैः–

I. सिविल सर्जन, अरवल को निदेशित किया जाता है कि वे महत्वपूर्ण दवाएँ यथा **Remdesivir, High Antibiotics** एवं अन्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगें। साथ ही मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सदर अस्पताल तक गंभीर मरीजों की उपचार की व्यवस्था एवं **Treatment protocol** निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगें कि आवश्यकतानुसार जिले के डॉक्टरों का **AIIMS, PMCH, NMCH, IGIMS** के चिकित्सकों से ऑनलाईन **Orientation** की कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगें।

II. सिविल सर्जन, अरवल जिले में उपलब्ध एम्बुलेंस की स्थिति का आकलन कर लेंगें। यदि आवश्यकता महसूस करेंगें तो एम्बुलेंस को किराये पर भी रखने की कार्रवाई करेंगें।

III. भविष्य में कोविड केयर सेंटर एवं हेल्थ सेंटर पर बेड की संख्या को बढ़ाना पड़ सकता है। अतएव सिविल सर्जन, अरवल इस कार्य हेतु अतिरिक्त भवनों को चिन्हित कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित करेंगें।

IV. होम आईसोलेशन मे रह रहे लोगों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगें। अतएव आवश्यक है कि सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदा0 अपने स्तर से प्रत्येक कंटेनमेन्ट जोन हेतु एक चिकित्सा पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगें, जो यह सुनिश्चित करेंगें कि होम आईसोलेशन मे रह रहे लोगों की प्रतिदिन ऑक्सीजन/बुखार जांचने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें तथा स्थिति गंभीर होने पर कोविड केयर सेंटर/उच्च कोविड केयर सेंटर लाने की व्यवस्था करेंगें।

V. सिविल सर्जन, अरवल सदर अस्पताल, अरवल एवं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में **Liquid** ऑक्सीजन प्लांट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करेंगें।

VI. **श्रम अधीक्षक, अरवल एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि वे बाहर से आ रहे मजदूरों पर नजर बनाये रखेंगें तथा उनकी स्थिति की लगातार समीक्षा करेंगें एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करेंगें।

VII. जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल को निदेशित किया जाता है कि वे **सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान 15 मई 2021 तक बंद करवायेंगें तथा सभी निजी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संचालकों को संस्थान बंद रखने हेतु अपने स्तर से नोटिस निर्गत करेंगें।**

VIII. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि माईकिंग के माध्यम से **गृह विभाग** द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेश का प्रचार प्रसार करायेंगें।

IX. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल एवं संबंधित थानाध्यक्ष** को निदेशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य सभी प्रतिष्ठानों के सचिव/अध्यक्ष से समन्वय/नोटिस निर्गत कर शाम 06.00 बजे तक ही दुकाने खुले रहने संबंधी आदेश से अवगत करा देंगें तथा 06.00 बजे के बाद भ्रमणशील रहकर यह सुनिश्चित करेंगें कि 06 बजे शाम के बाद सभी दुकानें/प्रतिष्ठान (**रेस्टोरेंट/ढाबा/भोजनालय, होटल को छोड़कर**) बंद हो जाय।

X. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष** कंटेनमेन्ट जोन में प्रावधानित प्रतिबंध को सख्ती से अनुपालन करायेंगें।

XI. **रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू है। अतएव सभी थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल** इसे कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें।

XII. **यदि बाजारों** में भीड़–भाड़ की स्थिति बनी रहती है तो अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष के साथ बैठक कर क्षेत्रवार/मुहल्लावार दुकानों को **Alternate days** पर खोलने के बिन्दु पर प्रस्ताव समर्पित करेंगें तद्नुसार अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही सब्जी मंडी/अन्य मंडी जहाँ जगह अभाव के कारण भीड़–भाड़ की स्थिति बनी हो तो उस पर प्रतिबंध

लगाते हुए खुले जगह में स्थानांतरित करने की कार्रवाई करेंगें अथवा उसी स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सब्जी दुकान लगवाने की कार्रवाई करेंगे।

XIII. **अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल को निदेशित किया जाता है कि वे कार्यपालक पदाधिकारी, अरवल** से समन्व्य स्थापित कर प्रत्येक वार्ड हेतु एक–एक ठेला की प्रतिनियुक्ति करायेंगे जो प्रतिदिन अपने वार्ड में धूम–धूम कर फल एवं सब्जी बेचेंगे। जिससे कि सब्जी मंडी में भीड़–भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो।

XIV. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल यदि आवश्यक समझें तो नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालय में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने हेतु द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के बिन्दु पर भी निर्णय ले सकते हैं।**

XV. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि वे धार्मिक प्रतिष्ठानों को आमजनों के लिए बंद रखने हेतु अपने स्तर से इस आशय की सूचना नोटिस के माध्यम से धर्मगुरू/पुजारी/महंत/मौलवियो को देंगें।

XVI. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि वे कार्यालय/सार्वजनिक/भीड़–भाड़ स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर समय–समय पर सेनेटाईजेशन कार्य कराते रहेंगें।

XVII. **सभी कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगें कि उनका कार्यालय अपराहन 05.00 बजे के उपरांत निश्चित रूप से बंद हो जाय।**

XVIII. **समाहरणालय में सामान्य आगंतुकों की प्रवेश पर पूर्णतः रोक रहेंगी। जिला नजारत उप समाहर्ता, अरवल** अपने स्तर से समाहरणालय गार्ड को स्पष्ट निदेश देंगें कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी सामान्य आगंतुक परिसर में प्रवेश न करें। साथ ही सभी कार्यालय प्रधान इसे सुनिश्चित करायेंगें तथा अपने कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर गार्ड/पहरेदार की प्रतिनियुक्ति करेंगें।

XIX. **जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल** को निदेशित किया जाता है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठान क्षमता के 50 प्रतिशत का ही उपयोग हो यह सुनिश्चित करायेंगें।

XX. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/थानाध्यक्ष/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायेंगें।

XXI. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी संबंधित थानाध्यक्ष के साथ अपने पूर्व में आवंटित** स्थल पर प्रतिदिन मास्क चेकिंग अभियान एवं दुकान बंद कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करायेंगें तथा इस आशय का प्रतिवेदन **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल** को प्रतिदिन उपलब्ध करायेंगें। अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल समेकित कर उसे प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगें ताकि वस्तु स्थिति से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया जा सकें।

XXII. सभी दुकानदार/सार्वजनिक स्थलों पर कार्य स्थल एवं परिवहन में मास्क का प्रयोग नितांत आवश्यक होगा।

XXIII. दुकानों/प्रतिष्ठानों में दुकानदार या उनके कर्मी स्वयं मास्क पहनेंगे एवं मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों की सामग्री उपलब्ध करायेंगें। साथ ही ग्राहकों/आने वाले व्यक्तियों से सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगें। आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले दुकानदारों /प्रतिष्ठानों के विरूद्ध बिहार संक्रमण जनित महामारी, कोविड–19 विनियमावली, 2020 के विनियम–19 के (शास्ति) के आलोक में सील करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

XXIV. सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन निश्चित रूप से किया जायेगा।

XXV. **सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा एवं तम्बाकू का सेवन प्रतिबंधित रहेगा तथा यत्र तत्र थूकने की मनाही होगी तथा पकड़े जाने पर उनके विरूद्ध कोटपा के तहत कार्रवाई की जायेगी।**

XXVI. सभी **सार्वजनिक स्थलों** के प्रवेश एवं निकास द्वार पर **थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाईजर** एवं सोशल डिस्टेसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

XXVII. **अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के अनुपालन कराने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें एवं उल्लघंन की स्थिति में **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत** कार्रवाई करेंगें।

XXVIII. **जिला सूचना एवं जन संपर्क पदाधिकारी, अरवल** को निदेश दिया जाता है कि इस आशय का प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी प्रेस/मीडिया/सोशल मीडिया के माध्यम से इसे प्रकाशित कराते हुए उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

XXIX. **अपर समाहर्ता, अरवल इस** आदेश के **वरीय प्रभार में रहेंगें। जिनका दायित्व होगा कि वे निर्गत दिशा–निर्देश का अनुश्रवण करेंगें तथा अनुपालन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें।**

XXX. **पुलिस अधीक्षक, अरवल** उपरोक्त आदेश का शत–प्रतिशत अनुपालन कराने हेतु सभी संबंधित को अपने स्तर से निदेशित करेंगें।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक : 222/डी0 अरवल दिनांक 19/04/2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सिविल सर्जन, अरवल/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला सूचना एवं विज्ञान पदा0, अरवल/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा/जिला पंचायती राज पदा0/जिला जन सम्पर्क पदा0/कार्यपालक पदा0, नगर परिषद्/अनुमंडल पदा0 एवं अनुमंडल पुलिस पदा0, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/4

जिला पदाधिकारी,
अरवल।